तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व जो इस ...
25-2-26	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। प्रकरण मे वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 06 नि.17 जा.दी. का सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। चूंकि प्रकरण मे आदेश 06 नि.17 का खारिज हो चुका है। जबकि प्राथमिक डिक्री आदेश अनुसार वादी का नाम बाबूलाल पिता रामचन्द्र बैरागी है जो वर्तमान जमाबन्दी अनुसार नही है। और ना ही पूर्व मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी अनुसार है। अतः वादी का वाद राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता का नाम भिन्न होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	